महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

संख्याः — /XXVII(7)विविध/2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,**
   उत्तराखण्ड शासन।
2. **समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,**
   उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादूनः दिनांकः** 16 ~~**जुलाई,**~~ अगस्त, **2017**

विषयः उपनल एवं अन्य सेवा प्रदाता संस्थाओं के माध्यम से नियोजित कार्मिकों के वेतन भत्तों एवं अन्य सुविधाओं की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सैनिक कल्याण विभाग के शासनादेश सं0–323/XVII-3/13-09(17)2004 दिनांक 12 जून, 2013 एवं सं0–636/XVII-3/16-9(17)2004 TC दिनांक 17 जून, 2016 का कृप्या संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें उपनल के माध्यम से संविदा पर नियोजित कार्मिकों के वेतन/भत्तों एवं अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था उपबन्धित की गई है।

2. शासन के संज्ञान में आया है कि उपनल एवं अन्य सेवा प्रदाता संस्थाओं के माध्यम से कतिपय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों में नियोजित समान श्रेणी के कार्मिकों को वेतन/भत्ते एवं सुविधाओं का भुगतान भिन्न–भिन्न दरों के अनुसार किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप राज्यान्तर्गत समान प्रकृति के कार्य हेतु संविदा पर नियोजित कार्मिकों के वेतन, भत्तों एवं अन्य सुविधाओं की दरों में भिन्नता के कारण अन्य स्रोतों से भी मांग उत्पन्न हो रही है साथ ही संविदा पर नियोजित उन कार्मिकों में असंतोष व्याप्त हो रहा है जिनको उक्त शासनादेशों में उपबन्धित व्यवस्था से कम भुगतान किया जा रहा है।

3. उल्लेखनीय है कि वेतन–भत्तों के निर्धारण सम्बन्धी कार्य वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 द्वारा व्यवहरित किए जाते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि कतिपय विभागों/संस्थाओं द्वारा वित्त विभाग की सहमति के बिना ही सेवा प्रदाता संस्थाओं के माध्यम से नियोजित कार्मिकों के वेतन/भत्तों की अनुमन्यता सम्बन्धी आदेश जारी किए गए हैं, जिसके फलस्वरूप इन कार्मिकों के वेतन–भत्तों के निर्धारण में असंगति उत्पन्न हो रही है।

क्रमशः..................2

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त विभागों/सरकारी उपक्रमों/स्थानीय निकायों/स्वायत्तशासी निकायों में उपनल एवं अन्य सेवा प्रदाता संस्थाओं के माध्यम से नियोजित कार्मिकों के वेतन–भत्ते की दरों का निर्धारण सैनिक कल्याण विभाग के उपरोक्त वर्णित शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा। इससे इतर की गई कार्यवाही वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में मानी जायेगी जिसके लिए सम्बन्धित स्वीकृति प्रदाता अधिकारी तथा आहरण–वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। यदि किसी विभाग द्वारा उक्त वर्णित शासनादेशों से इतर वेतन/भत्ते एवं सुविधायें अनुमन्य की गई हैं तो अतिरिक्त रूप से अनुमन्य की गई सुविधायें तत्काल समाप्त की जाय। उपनल के माध्यम से नियोजित कार्मिकों के वेतन/भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः /५२ (1)/XXVII(7)विविध/2016/तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मंडल, पौड़ी/कुमांऊ मंडल, नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
6. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन ।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इस शासनादेश को राज्य सरकार की वैब साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।